न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 204 सन 2020
अनवान :–

1. कैलाश कुमार पुत्र दलीप जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. जोतराम पुत्र रतीराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
2. जितन्द्रपाल पुत्र जोतराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
3. हरलाल पुत्र जोतराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
4. जगदीश पुत्र जोतराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
5. दलीप पुत्र जोतराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
6. माणकचन्द पुत्र जोतराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
7. सुमित्रा पुत्री जोतराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
8. ईमरती पुत्री जोतराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
9. मांगीलाल पुत्री जितेन्द्रपाल जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
10. कविता पुत्री जितेन्द्रपाल जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर।
11. बंशीलाल पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
12. विनोद पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
13. राजबाला पुत्री हरलाल जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
14. महेन्द्र दत्तक पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
15. अनुराधा पुत्री दलीप जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
16. प्रियंका पुत्री दलीप जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
17. विकाश कुमार पुत्र मानकचन्द जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
18. ममता कुमारी पुत्री मानकचन्द जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 17/09/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 264/627 की कुल 27.7330हैक जिसमे प्रतिवादी संख्या 1 का 43689/138665हिस्सा यानी 8.7378हैक व खाता संख्या 263/626 की कुल 16.3378हैक में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 3800/11211 हिस्सा यानि 7.600हैक दोना खातो की 16.3378हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि वादी के दादा रतीराम पुत्र आशाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी के दादा रतीराम पुत्र आशाराम के देहान्त होने पर वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है तथा वादी के दादा रतीराम पुत्र आशाराम ने वाद भूमि के अलावा अन्य ग्राम/खातों की भूमियों की आय एवं सयुक्त परिवार की आय से कुछ भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम करवाई गई थी जो सयुक्त परिवार की दादालाई पैतृक सम्पति की श्रेणी की भूमि है जो वर्तमान में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है। वह पैतृक सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यो का बराबर का हक हिस्सा है अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 18 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

रतीराम पुत्र आशाराम जाति जाट के देहान्त होने पर वाद भूमि उसके पुत्र जोतराम के नाम से दर्ज हुई है जोतराम के पांच पुत्र जितेन्द्रपाल , हरलाल , जगदीश, दलीप , माणकचन्द एवं दो पुत्री ईमरती एवं सुमित्रा हुए एवं जितेन्द्रपाल के पुत्र/पुत्रीया प्रतिवादी संख्या 9 ,10, हरलाल के पुत्र/पुत्रीया प्रतिवादी संख्या 11 ता 13 , जगदीश के पुत्र/पुत्रीया प्रतिवादी संख्या 14 , दलीप के पुत्र/पुत्रीया वादी व प्रतिवादी संख्या 15 ,16 तथा माणकचन्द के पुत्र/पुत्रीया प्रतिवादी संख्या 17 ,18 है प्रतिवादी संख्या 1 जोतराम स्वय एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 पुत्र एवं 7 ,8 पुत्रीया है जो रतिराम पुत्र आशाराम की भूमि को पाने के अधिकारी है अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि के वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 जो वादी के पिता चाचा है एवं प्रतिवादी संख्या 7 ,9 वादी की बुआ 10 , 15 ता 16, 18 वादी की बहने ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 9,12,13,14,17 के पक्ष में त्याग कर दिया है इसीप्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 9,12,13,14,17 के हक हिस्सा की भूमि जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 9,12,13,14,17 अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता रतिराम पुत्र आशाराम के देहानत होने एवं उसके पिता रतिराम पुत्र आशाराम ने सयुक्त परिवार की आय एवं अन्य पैतृक सम्पति की आय से वाद भूमि उसके /प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 का पिता हे के नाम से करवाई गई थी वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो सयुक्त परिवार की सम्पति है अर्थात पैतृक सयुक्त परिवार की सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 18 का प्रतिवादी संख्या 1 का हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या। 1 ता 8 ,10,13,15,16,18 जो वादी की दादा /पिता/बुआ/बहने है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 9 ,11 ,12 ,14 ,17 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 9 ,11 ,12 ,14 ,17 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है एवं अपने कथनों के समर्थन में जरिये अधिवक्ता इकबाल जवाब भी पेश किया जा चुका है जो शामिल मिसल किया गया है।एवं प्रतिवादी संख्या 19 पेरोकार राज ने जबाव पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जवाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्यात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 264/627 की कुल 27.7330हैक जिसमे प्रतिवादी संख्या 1 का 43689/138665हिस्सा यानी 8.7378हैक व खाता संख्या 263/626 की कुल 16.3378हैक में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 3800/11211 हिस्सा यानि

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

7.600हैक्ट दोना खातो की 16.3378हैक्ट भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि वादी के दादा रतीराम पुत्र आशाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी के दादा रतीराम पुत्र आशाराम के देहान्त होने पर वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है तथा वादी के दादा रतीराम पुत्र आशाराम ने वाद भूमि के अलावा अन्य ग्राम/खातों की भूमियों की आय एवं सयुक्त परिवार की आय से कुछ भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम करवाई गई थी जो सयुक्त परिवार की दादालाई पैतृक सम्पति की श्रेणी की भूमि है जो वर्तमान में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है। वह पैतृक सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यो का बराबर का हक हिस्सा है अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 18 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

रतीराम पुत्र आशाराम जाति जाट के देहान्त होने पर वाद भूमि उसके पुत्र जोतराम के नाम से दर्ज हुई है जोतराम के पांच पुत्र जितेन्द्रपाल , हरलाल , जगदीश, दलीप , माणकचन्द एवं दो पुत्री ईमरती एवं सुमित्रा हुए एवं जितेन्द्रपाल के पुत्र/पुत्रीया प्रतिवादी संख्या 9 ,10, हरलाल के पुत्र/पुत्रीया प्रतिवादी संख्या 11 ता 13 , जगदीश के पुत्र/पुत्रीया प्रतिवादी संख्या 14 , दलीप के पुत्र/पुत्रीया वादी व प्रतिवादी संख्या 15 ,16 तथा माणकचन्द के पुत्र/पुत्रीया प्रतिवादी संख्या 17 ,18 है प्रतिवादी संख्या 1 जोतराम स्वय एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 पुत्र एवं 7 ,8 पुत्रीया है जो रतिराम पुत्र आशाराम की भूमि को पाने के अधिकारी है अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि के वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 जो वादी के पिता चाचा है एवं प्रतिवादी संख्या 7 ,9 वादी की बुआ 10 , 15 ता 16, 18 वादी की बहने ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 9,12,13,14,17 के पक्ष में त्याग कर दिया है इसीप्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 9,12,13,14,17 के हक हिस्सा की भूमि जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है तथा न्यायायिक दृष्टान्त आर.आर.डी 1998 पेज 646 एवं आरआरसी 2001 पेज 459 के अनुसार कोई भी खातेदार अपनी स्वेच्छा से आपसी सहमति पक्षकारो के मध्य राजीनामा के द्वारा भी हस्तान्तरित करने में सक्षम है इसप्रकार न्यायायिक दृष्टान्त भी प्रकरण में पूर्णत्या चस्पा होते है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 264/627 की कुल 27.7330हैक्ट जिसमे प्रतिवादी संख्या 1 का 43689/138665हिस्सा यानी 8.7378हैक्ट व खाता संख्या 263/626 की कुल 16.3378हैक्ट में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 3800/11211 हिस्सा यानि 7.600हैक्ट दोना खातो की 16.3378हैक्ट भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 एवं पुरानी जमाबन्दी एवं मिलान क्षेत्रफल के अनुसार वाद भूमि वादी के दादा रतीराम पुत्र आशाराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर उसके पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एंव प्रतिवादी संख्या 2 ता 18 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वादी का कथन है कि वाद भूमि वादी के दादा रतिराम पुत्र आशाराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरारत्तन से भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नम से दर्ज हुई है तथा वादी के दादा रतिराम पुत्र आशाराम ने सयुक्त परिवार की आय एवं अन्य पैतृक सम्पति की आय से वाद भूमि में कुछ भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से करवाई गई थी जो पैतृक सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का हक हिस्सा है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उसके नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि सयुक्त परिवार की आय की सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का बराबर का हक हिस्सा है अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 के हक हिस्सा की भूमि है।

वादी का कथन है प्रतिवाादी संख्या 1 ता 8 ,10 ,13 ,15 ,16,18 जो वादी के दादा/पिता /बुआ/बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एव प्रतिवादी संख्या 9 ,11, 12 ,14 ,17 के पक्ष में किया जा चुका है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ,10 ,13 ,15 ,16,18 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हकों का त्याग किया हुआ है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 9 ,11, 12 ,14 ,17 के हक हिस्सा की भूमि है जसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो कोई ऐतराज नही है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो शमिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है की सयुक्त परिवार की आय एव पैतृक सम्पति की आय से खरीद/अर्जित की गई सम्पति भी पैतृक सम्पति की श्रेणी आती है जो परिवार के सभी सदस्यो के हक हिस्सा की भूमि है वाद भूमि पैतृक सम्पति साबित होने के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है ।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 263/626 की कुल 22.4220हैक जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज 7.60हैक भूमि एवं रोही मोजा सोनडी के खाता संख्या 264/627 की कुल 27.7330 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 8.7378हैक दोनो खातों की कुल 16.3378हैक जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी 3.67236हैक प्रतिवादी संख्या 9 का 2.48326हैक प्रतिवादी संख्या 11 ,12 सयुक्त तौर से 3.24226हैक प्रतिवादी संख्या 14 का 3.67236हैक , प्रतिवादी संख्या 17 का 3.26756हैक भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 17/09/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. कैलाश कुमार पुत्र दलीप जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 जोतराम पुत्र रतीराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
2. जितन्द्रपाल पुत्र जोतराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
3. हरलाल पुत्र जोतराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
4. जगदीश पुत्र जोतराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
5. दलीप पुत्र जोतराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
6. माणकचन्द पुत्र जोतराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
7. सुमित्रा पुत्री जोतराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
8. ईमरती पुत्री जोतराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
9. मांगीलाल पुत्री जितेन्द्रपाल जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
10. कविता पुत्री जितेन्द्रपाल जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर।
11. बंशीलाल पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
12. विनोद पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
13. राजबाला पुत्री हरलाल जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
14. महेन्द्र दत्तक पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
15. अनुराधा पुत्री दलीप जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
16. प्रियंका पुत्री दलीप जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
17. विकाश कुमार पुत्र मानकचन्द जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
18. ममता कुमारी पुत्री मानकचन्द जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 204 सन 2019 निर्णय दिनांक– 17/09/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 263/626 की कुल 22.4220हैक जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज 7.60हैक भूमि एवं रोही मोजा सोनडी के खाता संख्या 264/627 की कुल 27.7330 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 8.7378हैक दोनो खातों की कुल 16.3378हैक जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी 3.67236हैक प्रतिवादी संख्या 9 का 2.48326हैक प्रतिवादी संख्या 11 ,12 सयुक्त तौर से 3.24226हैक प्रतिवादी संख्या 14 का 3. 67236हैक , प्रतिवादी संख्या 17 का 3.26756हैक भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/9/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

संशोधित पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. कैलाश कुमार पुत्र दलीप सिह जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 जोतराम पुत्र रतीराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
2. जितेन्द्रपाल पुत्र जोतराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
3. हरलाल पुत्र जोतराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
4. जगदीश पुत्र जोतराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
5. दलीप सिह पुत्र जोतराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
6. माणकचन्द पुत्र जोतराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
7. सुमित्रा पुत्री जोतराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
8. ईमरती पुत्री जोतराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
9. मांगीलाल पुत्र जितेन्द्रपाल जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
10. कविता पुत्री जितेन्द्रपाल जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर।
11. बंशीलाल पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
12. विनोद कुमार पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
13. राजबाला पुत्री हरलाल जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
14. महेन्द्र सिह देहडु दत्तक पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
15. अनुराधा पुत्री दलीप जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
16. प्रियंका पुत्री दलीप जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
17. विकाश कुमार देहडु पुत्र माणकचन्द जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
18. ममता कुमारी पुत्री माणकचन्द जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 204 सन 2019 निर्णय दिनांक–18/9/2020

आज यह प्रार्थना पत्र 151–152 गुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 263/626 की कुल 22.4220हैक जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज 7.60हैक भूमि एवं रोही मोजा सोनडी के खाता संख्या 264/627 की कुल 27.7330 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 8.7378हैक दोनो खातों की कुल 16.3378हैक जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी 3.67236हैक प्रतिवादी संख्या 9 का 2.48326हैक प्रतिवादी संख्या 11 ,12 सयुक्त तौर से 3.24226हैक प्रतिवादी संख्या 14 का 3.67236हैक , प्रतिवादी संख्या 17 का 3.26756हैक भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/9/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner